मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 6133/MGNREGS-MP/NR-1//13   भोपाल, दिनांक 8/7/2013

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**

  महात्मा गांधी नरेगा–म.प्र.
  जिला ....**समस्त** (म.प्र.)

विषयः महात्मा गांधी नरेगा लेबर बजट एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) की तैयारी वित्तीय वर्ष 2014–15।

संदर्भः 1. विभाग का पत्र क्रमांक 10262/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/12 दिनांक 01.11.12
2. विभाग का पत्र क्रमांक 3273/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/13 दिनांक 03.04.13

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2014–15 का लेबर बजट एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (वार्षिक कार्ययोजना) की तैयारी वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु संदभित पत्रों के तहत जारी विस्तृत निर्देशों के अनुरूप की जाना है।

15 अगस्त 2013 से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के प्रमुख बिन्दु :–

1. जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कार्यबल (टास्क फोर्स) के सदस्यों को वृहद प्रशिक्षण दिया जावे, जिससे सभी स्टेक होल्डरों यथा जलग्रहण, संयुक्त वन प्रबंधन/ग्राम वन समितियां, महिला स्व सहायता समूह, क्षेत्र में सक्रिय स्वयं सेवी संस्था, सभी श्रमिक समूहों के मेट्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाकर मांग आधारित लेबर बजट एवं एसओपी तैयार हो सके।
2. ग्राम पंचायत अंतर्गत विगत वर्षो के अपूर्ण कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप नवंबर माह तक अनिवार्यतः पूर्ण किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जावे। जिससे वर्ष 2012–13 तक स्वीकृत कार्यो को आगामी वर्ष के लेबर बजट में लेने की आवश्यकता नहीं रहे।
3. **वित्तीय वर्ष 2014–15 का लेबर बजट** : ग्राम में सक्रिय जाबकार्डधारी परिवारों की संख्या X 100 दिवस से कुल मानव दिवस की गणना करना।

3.1 **वार्षिक कार्ययोजना (एसओपी) :**

a लेबर बजट में प्राक्कलित मानव दिवस से दोगुने मानव दिवस हेतु कार्यो को चिन्हित करना।

b कार्यो का चिन्हांकन : I. वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत ऐसे कार्य जो किन्हीं विशेष कारणों से अपूर्ण रहे। II. महात्मा गांधी नरेगा की नवीन मार्गदर्शिका 2013 में प्रावधानित कार्यो में से ग्राम की भौगोलिक स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप नवीन कार्यो का चिन्हाकंन।

c नवीन कार्यो में I. सार्वजनिक हित व अभिसरण के कार्य जैसे– पंच परमेश्वर अंतर्गत सीसी रोड़, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र–पंचायत भवन इत्यादि। II. पात्र हितग्राहियों के आवासीय परिसर में मर्यादा अंतर्गत घरेलू शौचालयों का निर्माण/खेत/खलिहान में उनकी मांग अनुसार कार्यो का चिन्हांकन।

4. टास्क फोर्स दल द्वारा ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में मनरेगा के कार्यो का फ्लेक्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर सभी स्टेक होल्डरों के साथ ट्रांजिक वाक की जावेगी एवं बिन्दु क्र. 1 से 3 तक की कार्यवाही 15 अगस्त के पूर्व पूर्ण की जावेगी।

5. 15 अगस्त से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में आगामी वर्ष के लेबर बजट व एसओपी का प्रस्तुतीकरण कर ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। पात्र हितग्राहियों से उनकी निजी भूमि में प्रस्तावित कार्यो के प्राप्त आवेदनों को आम सभा के समक्ष रखा जावे।

6. ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्रामों के लेबर बजट एवं एसओपी का संकलन कर प्रत्येक त्रैमास में मौसम अनुसार कराये जाने वाले कार्यो की सूची तैयार कर कार्यो के संपादन का प्राथमिकता क्रम ग्राम पंचायत द्वारा तय किया गया जावेगा।

7. ग्राम पंचायत स्तर से जिला पंचायत स्तर तक लेबर बजट व एसओपी के संकलन व अनुमोदन की प्रक्रिया की समय–सारणी एवं उत्तरदायित्व परिशिष्ट–1 अनुसार रहेगा।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 6134/MGNREGS-MP/NR-1/13 भोपाल, दिनांक 8/7/2013

प्रतिलिपि,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रा.वि. विभाग।
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य अभियंता, पूर्व परिक्षेत्र/पश्चिम परिक्षेत्र, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. मुख्य अभियंता, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
10. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्यप्रदेश।
11. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
12. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

कृपया अपने स्तर पर ग्राम पंचायतों, सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को इस परिपत्र के बारे में अवगत करावे।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–1

स. क्र.	लेबर बजट हेतु गतिविधि	उत्तरदायित्व	गतिविधि पूर्ण करने की अंतिम तिथि
1	जिला स्तरीय लेबर बजट प्रकोष्ठ का गठन, ग्राम पंचायत हेतु टास्क फोर्स का गठन एवं जनपद स्तरीय दल गठित कर आवश्यक निर्देश जारी करना। टास्क फोर्स के गठन के आदेश के साथ ही जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक ग्राम का पटवारी नक्शा डिजिटाइज्ड मेप उपलब्ध कराया जावे।	जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक	10 जुलाई 2013
2	लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट को तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण :– 1. जिलास्तर– जनपद स्तर के अधिकारियों को 2. जनपदस्तर–ग्राम पंचायत/टास्कफोर्स दल के सदस्यों को	परिषद के जिला प्रभारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना अधिकारी नरेगा	21 जुलाई 2013 तक
3	1. बेसलाइन सर्वे के आधार पर टास्कफोर्स दल द्वारा जॉबकार्ड पंजी अद्यतन करना। 2. ट्रांजिट वाक कर प्रत्येक ग्राम पंचायत का लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट तैयार कर कार्यो की सूची मय लागत सहित ग्राम सभा में प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना। ग्राम पंचायत के आश्रित ग्रामों की जानकारी संकलित कर ग्राम पंचायत की सामान्य सभा की अनुमोदन उपरांत जनपद पंचायत को भेजना।	कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	30 जुलाई 2013 तक 15 से 20 अगस्त 2013 तक
4	• ग्राम पंचायतों से अनुमोदित लेबर बजट एंव शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट की जानकारी संकलित कर उसका जनपद स्तर पर परीक्षण करना। • जनपद पंचायत की सामान्य सभा में लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट अनुमोदित कराना।	कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	25 अगस्त 2013 तक 30 अगस्त 2013 तक
5	• जनपद पंचायतों से अनुमोदित लेबर बजट एंव शेल्फ आफ प्रोजेक्ट की जानकारी संकलित कर उसका जिला पंचायत स्तर पर परीक्षण करना। • जिला पंचायत की सामान्य सभा में लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देकर अनुमोदित कराना।	जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना अधिकारी नरेगा	15 सितम्बर 2013 तक 30 सितम्बर 2013 तक
6	जिला पंचायत से अनुमोदित लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट का जनपद स्तर पर कम्प्यूटराइजेशन एवं डिजिटाईजेशन करना।	कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक यंत्री /अति. कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत	20 अक्टूबर 2013 तक
7	प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्र में स्वीकृत लेबर बजट एवं शेल्फ आफ प्रोजेक्ट की हार्ड कापी उपलब्ध कराई जाना।	कार्यक्रम अधिकारी/अति. कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत	30 अक्टूबर 2013 तक
8	कम्प्यूटराइज्ड लेबर बजट एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट पूरे जिले का संकलित कर राज्य रोजगार गारंटी परिषद को भेजा जाना।	अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक	15 नवम्बर 2013 तक
9	जिला पंचायत से अनुमोदित लेबर बजट व एसओपी उपरांत कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियों को जारी कर/प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट में अपलोड कराना।	सहायक यंत्री एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत	15 जनवरी 2014
10	स्वीकृत लेबर बजट अनुसार नवीन वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ कराना।	जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत	01 अप्रेल 2014

अनिल द्विवेदी